राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 4(24)ग्रावि / नरेगा / ईएफएमएस / 2011–12 जयपुर, दिनांक : 21 FEB 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान ।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत e-FMS के माध्यम से नरेगा श्रमिको को मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में**

संदर्भः– **इस विभाग का पत्र दिनांक 31.01.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ईएफएमएस के माध्यम से नरेगा श्रमिको को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु संभागवार सभी जिला एवं ब्लॉक एमआईएस मैनेजर को दिनांक 07.02.2013 से 13.02.2013 तक राज्य स्तर से प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान सभी ब्लॉक पर ईएफएमएस के द्वारा ही दिनांक 28.02.2013 तक भुगतान प्रारम्भ करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। इस संबंध में निर्धारित तिथि 28.02.2013 तक यह व्यवस्था आवश्यक रूप से लागू किये जाने हेतु जिला स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें :–

1. जो जिला एमआईएस मैनेजर / ब्लॉक एमआईएस मैनेजर उक्त प्रशिक्षण में उपस्थिति नही हुये है, वे प्रशिक्षण प्राप्त एमआईएस मैनेजर से सम्पूर्ण प्रक्रिया को तत्काल समझेगें।
2. जिले में ईएफएमएस व्यवस्था प्रारम्भ कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी की होगी। ईएफएमएस के संबंध में तकनीकी जानकारी एमआईएस मैनेजर्स को उपलब्ध करा दी गई है।
3. ईएफएमएस व्यवस्था में वेज लिस्ट को जांचने का कार्य लेखाकार एवं इसे बैंक को अग्रेसित करने का कार्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा व्यक्तिशः किया जावेगा। कार्यक्रम अधिकारी एवं लेखाकार आवश्यकता पडने पर लेखा सहायक / एमआईएस मैनेजर्स / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का सहयोग ले सकते है, परन्तु ईएफएमएस व्यवस्था के तहत श्रमिक भुगतान में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी लेखाकार एवं कार्यक्रम अधिकारी की व्यक्तिशः होगी।
4. ईएफएमएस व्यवस्था के लिये बैंक का चयन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (SBBJ), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बडौदा (BOB), बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) में से ही किया जावे क्योकि इन बैंको के साथ एनआईसी का interface किया जा चुका है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस